अध्याय III

पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही की सारिणी सहित निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में अनुसरण की गई प्रक्रिया

निर्णय निर्धारण प्रक्रिया, और मानदंड

निदेशक मंडल

↓

क्रियात्मक निदेशक

↓

कार्यपालक निदेशक, महाप्रबंधक तथा तकनीकी/क्रियात्मक प्रमुख

↓

अन्य कार्यपालक

कंपनी में समझौता ज्ञापन के अनुसार कंपनी के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रमुख नीति निर्धारणों तथा कंपनी की सभी विधि संगत गतिविधियों के निष्पादन हेतु कंपनी अधिनियम, 1956 द्वारा यथापेक्षित निदेशक मंडल विद्यमान है। इस प्रयोजन के लिए निदेशक मंडल को ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करने तथा ऐसे सभी कार्यों व गतिविधियों को करने का अधिकार तथा पात्रता प्राप्त है जो कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कंपनी को करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) को निदेशक मंडल द्वारा दिन-प्रति-दिन के प्रबंधन के लिए व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं और वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनुसार निदेशक मंडल के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशन में इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है।

सीएमडी अपनी शक्तियों के अनुसरण में, पावर ऑफ ऑटार्नी या शक्तियों के अनुसूचन के माध्यम से अन्य क्रियात्मक निदेशकों, परियोजना प्रमुखों, क्रियाशील प्रमुखों को उनके कार्य आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित शक्तियों को उप-प्रत्यायोजित करता है। सभी कर्मचारियों के लिए इस प्रकार शक्तियों के प्रत्यायोजन तथा लागू कानूनों, नियमों, मनदंडों, कोडों आदि के अनुसार कार्य करना अपेक्षित है। शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन (पूर्णकालीन निदेशकों, कार्यपालक निदेशकों, महाप्रबंधकों, तथा क्रियात्मक व परियोजना प्रमुखों सहित अपर महाप्रबंधक व ऊपर के अधिकारी) तथा निदेशक मंडल के सदस्य आचार संहिता (आचार संहिता वेबसाइट : http://www.ircon.org पर उपलब्ध है) का अनुपालन करेंगे, जिसके अनुसरण में वे प्रत्येक वर्ष अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।